अध्याय VI : पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड

6.1 रोकड़ का गबन

खराब आन्तरिक नियंत्रण और बैंक परिचालन अधिदेश के अननुपालन के परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के बैंक खाते से ₹ 1.41 लाख का आहरण धोखाधड़ी से हुआ।

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (कम्पनी) कई बैंको के साथ जैसे भारतीय स्टेट बैंक, न्यू गुवाहाटी (एसबीआई) और यूनियन बैंक आफ इंडिया, गुवाहाटी (यूबीआई) के साथ चालू खातों का रखरखाव करता था और उसके प्रतिदिन के परिचालनो के दौरान छोटे मोटे भुगतान करने के लिए सेल्फ पर आहरित चैकों के माध्यम से चालू खातों से नकद आहरित करता था। अप्रैल 2010 से मार्च 2013 की अवधि से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि अप्रैल 2010 से जून 2010 की अवधि के दौरान कुल ₹ 1.41 लाख के कुल चार नकद आहरण किए गए थे। इनमें एसबीआई के साथ कम्पनी के खाते से एक ₹ 41,000 (12 अप्रैल 2010) का आहरण और उसके यूबीआई के खाते से ₹ 30,000 (06 मई 2010), ₹ 50,000 (17 मई 2010) और ₹ 20,000 (03 जून 2010) के तीन आहरण शामिल है।

लेखापरीक्षा ने पाया (नवम्बर 2013) कि उपरोक्त चार नकद आहरणों की प्रविष्टयों को रोकड बही में दर्ज नही किया गया था। ₹ 41,000 को छोड़कर, सभी आहरणों के संबंध में चैक जारी रजिस्टर में अपेक्षित प्रविष्टियों को भी दर्ज नही किया गया था। इसके अलावा बैंक विवरण और रोकड बही के बीच मिलान दर्शाने वाला मासिक विवरण तैयार करने की कोई प्रणाली नहीं थी जिसके कारण जून 2010 से नवम्बर 2013 की अवधि के दौरान ₹ 1.41 लाख के रोकड़ आहरण का पता नही लग सका। वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए बैंक मिलान विवरण कम्पनी के अभिलेखों में उपलब्ध नही थे अत: लेखापरीक्षा इस का सत्यापन नही कर सकी कि ₹ 1.41 लाख के अप्रविष्ट आहरण को प्रबंधन द्वारा कैसे लिया गया और कैसे मिलान किया गया। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षक ने सूचित किया था (अगस्त 2012) कि कम्पनी ने वित्तीय लेखाकरण और वित्तीय शाक्तियों के प्रत्यायोजन इत्यादि के लिए नियमों हेतु कोई व्यापक लेखाकरण नियमावली तैयार नही की थी।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी के बैंक परिचालन अधिदेश के अनुसार कम्पनी के नाम जारी चैकों को दो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ताओं अर्थात् प्रबंध निदेशक (एमडी) और महाप्रबंधक (वित्त और लेखे) (जीएम-एफएवंए) द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 41,000 के आहरण के लिए सेल्फ चेक तत्कालीन जीएम (एफएंवए) और तत्कालीन एमडी के संयुक्त प्राधिकरण के अन्तर्गत जारी किया गया था। (31 मार्च 2010) जबकि ₹ एक लाख के तीन अन्य आहरण केवल तत्कालीन जीएम (एफएवंए) के एकल प्राधिकरण के तहत जारी किया गया था। आगे यह देखा गया कि ₹ एक लाख की राशि के तीन आहरण मई 2010 और जून 2010 के दौरान किए गए थे, तत्कालीन जीएम (एफएवंए) ने बैंक से केवल अपने हस्ताक्षर से चैकों को मंजूर केवल अपने हस्ताक्षर से करने का अनुरोध इस आधार पर किया था कि अन्य हस्ताक्षकर्त्ता अर्थात् एमडी कार्यालय के कार्य हेतु स्टेशन से बाहर था। तथापि, प्रबंधन ने पुष्टि की (नवम्बर 2013) कि तत्कालीन एमडी 17 मई 2010 को अर्थात् ₹ 50,000 के आहरण की तिथि पर कार्यालय में उपलब्ध थे।

इस प्रकार, रोकड बही में दैनिक नकद आहरण की प्रविष्टियां दर्ज न करने एवं खराब आन्तरिक नियंत्रण जैसे चैक जारी रजिस्टर में प्रविष्टि के बिना चैक जारी करना, मासिक बैंक मिलान विवरण तैयार न करना, प्रबंधन द्वारा बैंक परिचालन अधिदेश का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.41 लाख तक के रोकड का गबन हुआ। कम्पनी द्वारा दोषी अधिकारी के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नही की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाए जाने पर (नवम्बर 2013) प्रबंधन ने बताया (मार्च 2014) कि कम्पनी द्वारा तत्कालीन जीएमएफएवंए को एक वसूली नोटिस भेजा था (फरवरी 2014) जिसमें उसे आहरण की तिथि से जमा करने की तिथि तक 28 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ₹ एक लाख की राशि जमा करने को कहा गया था। तत्कालीन जीएम ने कम्पनी को ₹ एक लाख की राशि वापिस जमा करवा दी (फरवरी 2014) और ब्याज की छूट के लिए निवेदन किया। प्रबंधन ने आगे कहा (अप्रैल 2014) कि तत्कालीन जीएम को राशि के आहरण की तिथि से ₹ 1.41 लाख की कुल राशि पर ब्याज सहित 14.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बकाया ₹ 41,000 राशि का पुन: भुगतान करने का एक नोटिस जारी किया गया था। तथापि, जीएम ने राशि का पुन: भुगतान करने से मना कर दिया (मई 2014) और कहा उसे तत्कालीन रोकडिए द्वारा विशिष्ट उद्देश्यो के लिए आहरित किया गया था जैसा कि चैक जारी रजिस्टर मे उल्लेख किया गया था।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने ₹ 41,000 की बकाया राशि की वसूली के लिए आगे कोई कार्रवाई नही की। इसके अतिरिक्त, वसूली योग्य दाण्डिक ब्याज को

उसके किसी औचित्य को रिकार्ड किए बना 28 प्रतिशत प्रतिवर्ष से घटा कर 14.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दिया गया था। पूछताछ किए जाने पर प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2014) कि निर्णय भूतपूर्व एमडी द्वारा लिया गया था और उस निर्णय के लिए रिकार्ड पर कोई कारण उपलब्ध नही था।

इस प्रकार, रोकड और बैंक लेन देन पर खराब आन्तरिक नियंत्रणों के परिणामस्वरूप ₹ 1.41 लाख तक के रोकड का घोखाधडी से आहरण और गबन हुआ। हालांकि, लेखापरीक्षा के बताने पर ₹ एक लाख की राशि की वसूली कर ली गई, फिर भी ₹ 1.41 लाख की कुल राशि में से बकाया ₹ 41,000 की राशि दण्डिक ब्याज सहित वसूली हेतु अभी भी लम्बित थी (जुलाई 2014)।

मंत्रालय ने अपने अनंतिम उत्तर में बताया (नवम्बर 2014) कि उसने कम्पनी से प्राप्त टिप्पणी को स्वीकार नही किया है और कम्पनी से जांच नतीजे और जांच रिपोर्ट पर लम्बित कार्रवाई मांगी थी। मंत्रालय कम्पनी से संतोषजनक रिपोर्ट की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा को उत्तर प्रस्तुत करेगा।